D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)

File Number 18

Minutes of Meetings of Management Committee.

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE
BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)

Minutes of meeting of management committee

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

डी० पी० विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ०ग०) की प्रशासन समिति की आपात बैठक दिनांक 30/03/2024
दिन - शनिवार - समय - संध्या 5-30 बजे
स्थान - प्राचार्य कक्ष, डी पी. विप्र विधि महाविद्यालय
अशोक नगर सीपत रोड बिलासपुर (छ.ग.)
बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्यगण/पदाधिकारी उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराग शुक्ला	अध्यक्ष	[signature]
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	[signature]
03	श्री नंदकिशोर तिवारी	सदस्य	[signature]
04	श्री नरेन्द्र कछवाहा	सदस्य	—
05	श्री सौमित्र तिवारी	वि.वि.प्रतिनिधि	सौमित्र
06	डॉ. अखिलेश शर्मा	—"—	—
07	श्री संतोष कक्कड़	शिक्षक प्रतिनिधि	SKakkar
08	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	—"—	[signature]
09	— —	छात्र प्रतिनिधि	—
10	डॉ. ए० बी० सोनी	प्राचार्य/पदेन सचिव	[signature]

विषय क्रमांक :- 01

महाविद्यालय के प्राचार्य के सेवा विस्तार एवम परिनियम - 28 के तहत सहायक प्राध्यापक पद हेतु चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार

निर्णय :- समिति के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि महाविद्यालय के प्राचार्य डा० अन्नू भाई सोनी गत वर्ष मार्च 2023 (31 मार्च 2023) मे अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत हो गये, एवं उन्हे प्रशासन समिति की आपात बैठक दिनांक 28 मार्च 2023 मे विषय क्रमांक 01 तथा निर्णय क्रमांक 01 के तहत लिये गये निर्णयानुसार नियमानुसार (वि. वि. अनुदान आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्त दिनांक 30 जून 2010 की कंडिका 8F) एक वर्ष का सेवा विस्तार दिनांक 31 मार्च 2024 तक के लिये दी गयी थी। सदस्यों के द्वारा उनकी सेवा मे पुनः विस्तार किये जाने पर विचार किया गया एवं सर्वसम्मति से उन्हे प्रथम चरण मे 31 मार्च 2025 तक एवं बार कौंसिल आफ इंडिया की आवश्यकतानुसार 31 मार्च 2026 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई। डा० अन्नू भाई सोनी प्राचार्य के निवेदन पर उनके वर्तमान मे दिये जा रहे निश्चित वेतन 60,000 (साठ हजार रुपये मात्र) मे दस प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की भी स्वीकृति माननीय सदस्यों के द्वारा दी गई।

समिति के माननीय अध्यक्ष

एवं सदस्यों के समक्ष प्राचार्य के द्वारा विगत दिनों परिनियम 28 के तहत इतिहास, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषयों में अध्यापन कार्य हेतु सहायक प्राध्यापकों के चयन हेतु गठित साक्षात्कार समिति के द्वारा अनुमोदित चयन सूची एवं उनकी नियुक्ति के संबंध में वि. वि. द्वारा जारी पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, समिति के सदस्यों ने चयन सूची में प्रथम वरीयता प्राप्त निम्न उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किये जाने का निर्देश प्राचार्य को दिया

क्रमांक	नाम	विषय
01	डा० हंसा तिवारी	इतिहास
02	कु. अलका उइके	समाजशास्त्र
03	श्री निमेश खोडियार	वाणिज्य
04	डा० अंकिता शर्मा	वाणिज्य

समिति के माननीय सदस्यों का यह भी अभिमत था कि नियुक्त किये जा रहे उपरोक्त सहायक प्राध्यापकों को 15600/ रूपये का मूल वेतन एवं 500/ मंहगाई भत्ता दिया जावे। नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर होगी एवं सेवा से असंतुष्ट होने पर दोनों पक्षों के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना पर सेवा समाप्ति या पद-त्याग किया जा सकेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समापन की घोषणा की गई

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी० पी० विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ०ग०) की प्रशासन समिति की आपात बैठक दिनांक 27/09/23 दिन बुधवार - समय: संध्या - 05.00 बजे। स्थान - प्राचार्य कक्ष डी०पी० विप्र विधि महाविद्यालय अशोक नगर, सीपत रोड बिलासपुर (छ०ग०)

बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्यगण/पदाधिकारी उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

	सदस्यों के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री अनुराग शुक्ला	अध्यक्ष	[signature]
2	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	[signature]
3	श्री नंदकिशोर तिवारी	सदस्य	[signature]
4	श्री नरेन्द्र कछवाहा	दानदाता सदस्य	—
5	डॉ० अखिलेश शर्मा	वि०वि० प्रतिनिधि	[signature]
6	श्री सौमित्र तिवारी	—"—	—
7	श्री संतोष ठाकुर	शिक्षक प्रतिनिधि	Santhakur
8	श्री शैलेन्द्र शर्मा	—"—	[signature]
9	—	शासकीय प्रतिनिधि	—
10	डॉ. अनु सिंह सोनी	प्राचार्य/पदेन सचिव	[signature]

विषय क्रमांक 01 :— छात्रावास भवन के द्वितीय तल पर कक्ष / अध्ययन कक्ष एवं हॉल का निर्माण किये जाने एवं पार्किंग हेतु गार्डन के सामने की खाली जमीन पर पेवर ब्लॉक का कार्य करवाये जाने पर विचार

निर्णय :- 1 - माननीय सदस्यों ने विचारोपरान्त यह मत व्यक्त किया कि छात्रावास भवन के द्वितीय तल के निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व भवन की भार वहन क्षमता (Load Bearing capacity) की जाँच किसी मान्यता प्राप्त योग्य संरचना विशेषज्ञ structural expert / Engineer से करवाया जाना उचित होगा। यदि संरचना विशेषज्ञ की अनुशंसा निर्माण हेतु प्राप्त हो जाती है तो निर्माण कार्य किये जाने की स्वीकृति दी जाती है, इस कार्य हेतु प्राचार्य को अधिकृत किया गया।

गार्डन के सामने के हिस्से जिसमें वर्तमान स्टैंड 03, एवं छात्रावास भवन के सामने का खुला हिस्सा सम्मिलित है में पार्किंग हेतु पेवर ब्लॉक कार्य किये जाने की अनुमति प्रस्तुत आकलन पत्र (Estimate) के आधार पर नियमानुसार करवाये जाने की स्वीकृति माननीय सदस्यों द्वारा प्रदान की गई।

छात्रावास भवन के पीछे के खाली स्थान पर कांक्रीटीकरण एवं वहीं पर शौचालय निर्माण के लिये प्रस्तुत आकलन पत्र (Estimate) पर भी माननीय सदस्यों ने सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की।

प्राचार्य द्वारा छात्रावास भवन के द्वितीय तल पर प्रस्तावित कक्ष / अध्ययन कक्ष

एवं हाल के निर्माण हेतु भी 31.08 लाख का प्राक्कलन पत्र (Estimate) प्रस्तुत किया

विषय क्रमांक 02 :—
प्राचार्य द्वारा माननीय सदस्यों को यह जानकारी दी गई, कि बेलतरा के माननीय विधायक श्री रजनीश सिंह के द्वारा महाविद्यालय परिसर मे एक कक्ष का निर्माण किये जाने हेतु तीन लाख रूपये की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की गई है, इस सूचना पर माननीय सदस्यों ने हर्ष प्रकट करते हुये माननीय विधायक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं प्राचार्य को निर्देशित किया कि वे वर्तमान छात्रावास भवन के सामने बांऊड्रीवाल एवं बादाम के पेड़ के पास वाले खाली स्थान पर निर्माण कार्य करवाये।

विषय क्रमांक 03:— नैक (NAAC) की तैयारी पर होने वाले व्यय के आकलन पर विचार

निर्णय क्रमांक 03- प्राचार्य ने माननीय सदस्यों को जानकारी दी, कि महाविद्यालय NAAC की तैयारी मे अभी तक कंप्यूटर खरीदी, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास रूम (02) ग्रंथालय हेतु पुस्तकों एवं पत्रिकाओं (विधि पत्रिका) एन.एस.एस., की सामग्री, पोस्टर एवं कक्षों मे कैमरा, ए.सी. एवं अन्य फुटकर मदों पर लगभग 38,54000.00 रूपये (देखिये संलग्न A) व्यय कर चुका है, एवं लगभग 63,50,000.00 (देखिये संलग्न A) आगामी समय मे व्यय किये जाने की योजना है,

इन व्ययों में पुस्तक खरीदी कंप्यूटर खरीदी एवं फर्नीचर तथा आलमारी एवं दो और स्मार्ट क्लास रूम बनाया जाना सम्मिलित है।

माननीय सदस्यों ने विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्तावित व्ययों को नियमों के अन्तर्गत खरीदी पर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की।

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

(104)

डी पी विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ०ग०) की शासन समिति की आपात बैठक दिनांक 28/03/202[illegible] दिन मंगलवार समय संध्या 5.30 बजे स्थान :- प्राचार्य कक्ष डी पी विप्र विधि महाविद्यालय अशोक नगर सीपत रोड बिलासपुर (छ०ग०)

बैठक में निम्न लिखित माननीय सदस्यगण/पदाधिकारी उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

क्र०	सदस्यों के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराग शुक्ला	अध्यक्ष	[signature]
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	[signature]
03	श्री नंदकिशोर तिवारी	सदस्य	[signature]
04	श्री नरेन्द्र कछवाहा	दानदाता सदस्य	—
05	डॉ. अखिलेश शर्मा	वि० वि० प्रतिनिधि	[signature]
06	प्रो० सौमित्र तिवारी	वि० वि० प्रतिनिधि	—
07	प्रो० तिलकराम पटेल	शिक्षक प्रतिनिधि	—
08	प्रो० धर्मेन्द्र शर्मा	शिक्षक प्रतिनिधि	[signature]
09	—	शासकीय प्रतिनिधि	
10	डॉ. अंजनाकुमारी सोनी	प्राचार्य/सचिव	[signature]

विषय क्रमांक 01 - आगामी दिनांक 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत हो रहे प्राचार्य के पश्चात महाविद्यालय मे प्रशासनिक व्यवस्था किये जाने के संबंध मे विचार

निर्णय क्रमांक :- 01

समिति के माननीय सदस्यो को यह जानकारी दी गई, कि प्राचार्य डा० अन्नू भाई सोनी आगामी 31 मार्च 2023 को 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे है, अतः उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात महाविद्यालय मे प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से होगा, इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस पर माननीय सदस्यो के द्वारा यह निश्चित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) के मार्गदर्शक सिद्धान्त दिनांक 30 जून 2010 की कंडिका 8(F) के अन्तर्गत प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे प्राचार्य डा० अन्नू भाई सोनी को 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पुर्ननियुक्ति दी जा सकती है। उपरोक्त पुर्ननियुक्ति प्रथम बार मे तीन वर्ष एवं द्वितीय बार मे दो वर्षो के लिये दी जा सकेगी, सदस्यो का यह भी मत था कि यद्यपि मार्गदर्शक सिद्धान्त मे प्रथम बार पुर्ननियुक्ति तीन वर्षो के लिये किये जाने का प्रावधान है, किन्तु प्रशासन समिति उन्हे आगामी 31 मार्च 2024 तक के लिये फिलहाल नियुक्त करती है, आगे आवश्यकतानुसार पुनः पुर्ननियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा। पुर्ननियुक्ति पर डा० अन्नू भाई सोनी को साठ हजार रुपये समेकित वेतन एवम कर्मचारी भविष्य निधि मे नियमानुसार अंशदान की पात्रता होगी। समिति ने अपने इस

निर्णय से संबंधित विभागों / संस्थाओं को यथा अटल बिहारी वाजपेयी वि० वि०, बार कौंसिल आफ इंडिया, उच्च शिक्षा संचालनालय छ०ग० शासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराये जाने का भी निर्देश दिया।

प्राचार्य के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक के समापन की घोषणा की गई।

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी०पी० विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) की प्रशासन समिति की आपात बैठक दिनांक 24/03/2023 दिन शुक्रवार समय संध्या 5.30 बजे। स्थान - प्राचार्य कक्ष डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय अशोक नगर सीपत रोड बिलासपुर (छ.ग.)

बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्यगण पदाधिकारी उपस्थित / अनुपस्थित रहे।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराम शुक्ला	अध्यक्ष	[signature]
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	[signature]
03	श्री नन्दकिशोर तिवारी	सदस्य	[signature]
04	श्री नरेन्द्र कछवाहा	दानदाता सदस्य	—
05	डॉ. अखिलेश शर्मा	विश्व.प्रतिनिधि	—
06	प्रो. सौमित्र तिवारी	विश्व.प्रतिनिधि	—
07	प्रो. तिलकराम पटेल	शिक्षक प्रतिनिधि	[signature]
08	प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा	शिक्षक प्रतिनिधि	[signature]
09		अशास.प्रतिनिधि	—
10	डॉ. अरुण कुमार सोनी	प्राचार्य / पदेन सचिव	[signature]

(167)

विषय :- जाँच प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय :- दिनांक 24 मार्च 2023, संध्या 5:00 बजे महाविद्यालय प्रशासन समिति की आपात बैठक संपन्न हुई। बैठक में महाविद्यालय में हुई वित्तीय अव्यवस्था (Financial Mismanagement) पर प्रशासन समिति द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन सभी कार्यों में प्राचार्य एवं मुख्य लिपिक उत्तरदायी हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि उनसे, जांच प्रतिवेदन पर, समिति के निष्कर्ष पर उनसे सहमति/असहमति प्राप्त की जाये।

इस कार्यवाही के दरम्यान प्राचार्य डॉ. ए. बी. सोनी बैठक में अनुपस्थित रहे।

उपरोक्त निर्णय के पश्चात डॉ. ए. बी. सोनी, प्राचार्य को समिति की बैठक में आमंत्रित किया गया तथा उनसे जांच समिति के निष्कर्ष पर उनकी सहमति / असहमति देने का निवेदन किया गया। प्राचार्य डॉ. ए. बी. सोनी ने जांच प्रतिवेदन का अवलोकन कर ~~सह~~ समिति के निष्कर्ष पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा खेद व्यक्त किया।

उपरोक्त सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए समिति ने निर्णय लिया कि उपरोक्त वर्णित वित्तिय अव्यवस्था (Financial Mismanagment) के परिणाम स्वरूप महाविद्यालय को हुई क्षति की पूर्ति हेतु डॉ. ए. बी. सोनी, प्राचार्य तथा मुख्य लिपिक को (श्री श्रवण वस्त्राकार) महंगाई भत्ता (प्राध्यापकों हेतु मूल वेतन का 30 प्रतिशत एवं कर्मचारियों हेतु 40 प्रतिशत) जो 10 जून 2019 की प्रशासन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्राध्यापकों / कर्मचारियों को देने की स्वीकृति दी गई थी एवं प्राचार्य तथा

(63)

मुख्य लिपिक को उपरोक्त महंगाई भत्ते का भुगतान रोकने का निर्णय लिया गया था, से "स्थायी तौर पर वंचित किया जावे" एवं उपरोक्त निर्णय पर प्राचार्य एवं मुख्य लिपिक से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रशासन समिति की बैठक की कार्यवाही पंजी में संलग्न किया जावे।

उपरोक्तानुसार लंबित जांच प्रकरण निराकृत किया जाता है।

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

संलग्न सहमति पत्र

कार्यालय प्राचार्य

डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय,

सीपत रोड,अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

(Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Bajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945,9926138734 (O)

पत्र कमांक क्यू/2023 बिलासपुर,दिनांक- 24/03/2023

प्रति

माननीय अध्यक्ष महोदय,
एवं सदस्यगण प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

मान्यवर,

आज दिनांक 24 मार्च 2023 संध्या 5.30 बजे प्रशासन समिति की आपात बैठक में एक मात्र विषय " जांच प्रतिवेदन पर विचार" के तहत माननीय सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जांच प्रतिवेदन में की गई टिप्पणी के अनुसार महाविद्यालय में हुई वित्तीय अव्यवस्था (Financial Mismanagment) हेतु प्राचार्य डॉ. ए.बी. सोनी उत्तरदायी है।

अतः महाविद्यालय को उपरोक्त वित्तीय अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति हेतु उन्हे 30 प्रतिशत मंहगाई भत्तो का भुगतान प्राप्त करने से स्थायी रूप से वंचित किया जावे, जो जून 2019 की प्रशासन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्राध्यापकों को दिये जाने की स्वीकृति कर दी गई थी एवं प्राचार्य को जांच समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय होने तक उपरोक्त वर्णित 30 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान रोकने का निर्णय लिया गया था।

मैं डॉ. अन्नूभाई सोनी प्राचार्य उपरोक्त निर्णय से सहमत हूं एवं हार्दिक खेद व्यक्त करता हूं।

24.03.2023

प्राचार्य
PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी० पी० विप्र विधि महाविद्यालय प्रशासन समिति की आपात बैठक दिनांक 21 नवम्बर 2020 दिन शनिवार, स्थान प्राचार्य कक्ष – समय दोपहर 4:00 बजे

निम्न सदस्यगण उपस्थित / अनुपस्थित रहे।

1 श्री अनुराग शुक्ला अध्यक्ष
2 श्री सुभाष मिश्रा सदस्य
3 श्री नंदकिशोर तिवारी सदस्य
4 प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा शिक्षक प्रतिनिधि
5 प्रो.
6 डा. मधुलिका अग्रवाल वि.वि. प्रतिनिधि
7 डा. चिन्मोयी रानी राय वि.वि. प्रतिनिधि
8 श्री नरेन्द्र लधानी सदस्य
9 डा. ए. बी. सोनी प्राचार्य / सचिव

सदस्यों द्वारा निम्न विषय पर विचारोपरान्त निर्णय लिये गये

विषय – बार कौंसिल आफ इंडिया के निर्देशानुसार एवं उनके आगामी निरीक्षण को ध्यान में रखते हुये प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं भत्तो के त्रुटिपूर्ण मंहगाई भत्तो को सुधारने एवं उनके पूर्व तिथि से बकाया देने पर विचार

निर्णय – निर्णय लिया गया कि 17 प्राध्यापक विधि एवं अन्य विषय हेतु नियुक्त किया जावे, एवं भत्तो के त्रुटिपूर्ण मंहगाई भत्ते की गणना को सुधारकर 50% के स्थान पर 60% मंहगाई भत्ता आगामी सत्र अगस्त 2021 से बिना बकाया (Arrears) के दिया जावे। सदस्यों ने 17 प्राध्यापक विधि हेतु एवं 15 प्राध्यापक के पदों की अन्य विषयों हेतु स्वीकृति दी।

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

(158)

डी० पी० विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर के प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 सोमवार संध्या 5:00 बजे स्थान प्राचार्य कक्ष डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय अशोक नगर बिलासपुर मे आयोजित की गई, जिसमे निम्नलिखित अनुसार माननीय सदस्यगण उपस्थित रहे/अनुपस्थित रहे।

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराग शुक्ल	अध्यक्ष	(हस्ताक्षर)
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	(हस्ताक्षर)
03	श्री नन्द किशोर तिवारी	सदस्य	
04	श्री नरेन्द्र कछवाहा	सदस्य	
05	प्रो० धर्मेन्द्र शर्मा	शिक्षक प्रतिनिधि	(हस्ताक्षर)
06	डॉ० तिलकराम पटेल	शिक्षक प्रतिनिधि	(हस्ताक्षर)
07	प्रो० चिन्मयी रानी दास	वि० वि० प्रतिनिधि	
08	डॉ० मधुलिका अग्रवाल	वि० वि० प्रतिनिधि	
09	डॉ० अन्नू भाई सोनी	प्राचार्य / सचिव	(हस्ताक्षर)
10	निरंक	शासकीय प्रतिनिधि	
11	श्री राजकुमार अग्रवाल	विशेष आमंत्रित	
12	श्री डी. पी. कौशिक	विशेष आमंत्रित	(हस्ताक्षर)

विषय क्रमांक - 01 गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना

निर्णय - पुष्टि की गयी

विषय क्रमांक 02 :- जाँच प्रतिवेदन पर विचार किया जाना।
निर्णय :- जाँच प्रतिवेदन पर आगामी बैठक मे विचार करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 03 :- शिक्षण समिति से लिये गये ऋण 790,000=00 (सात लाख नब्बे हजार) रुपये को वापस किये जाने पर विचार :-
निर्णय :- प्राचार्य द्वारा यह जानकारी दी गई, कि महाविद्यालय द्वारा शिक्षण समिति से तीन अवसरो पर कुल 7,90,000=00 रुपये का ऋण लिया गया था जिसे वापस करने की मांग सचिव एवम प्राचार्य डी.पी. विप्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 187/ का० 2020 दिनांक 04.07.2020 के द्वारा की गई है। सर्वसम्मति से इस ऋण को वापस करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 04 :- प्राध्यापको एवम कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की बकाया राशि के शेष दो किश्तों को भुगतान करने पर विचार
निर्णय :- प्राचार्य के द्वारा जानकारी दी गई, कि विगत बैठक दिनांक 19.06.2019 मे लिये गये निर्णयानुसार प्राध्यापको एवं कर्मचारियो (प्राचार्य एवं ओवरावरवरकार को छोड़कर) को तीस प्रतिशत मंहगाई भत्ता मूल वेतन पर दिया जा रहा है उपरोक्त मंहगाई भत्ता दिये जाने की तिथि (वास्तविक भुगतान तिथि) से एक वर्ष पूर्व (12 माह) से देय मानकर बकाया (Arrears) देने का भी निर्णय लिया गया था, उपरोक्त

बकाया के एक किश्त का भुगतान किया जा चुका है, एवम दो किश्तों का भुगतान किया जाना बाकी है। प्राचार्य द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि प्रत्येक वर्ष जुलाई माह से देय वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ भी 2020 में नहीं दिया गया है, जो कि मूल वेतन का 3% (तीन प्रतिशत) होता है।

निर्णय लिया गया कि महंगाई भत्ते की बकाया राशि (दो किश्तों) का भुगतान प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को (प्राचार्य तथा श्रवण नारायकार को छोड़कर) कर दिया जावे, एवं 2020 हेतु देय वेतनवृद्धि का भी नियमानुसार जुलाई से गणना कर दिया जावे।

विषय क्रमांक: 05 - महाविद्यालय भवन में हुये मरम्मत, निर्माण इत्यादि की जानकारी देना एवं प्रस्तावित कार्ययोजना पर विचार

निर्णय :- प्राचार्य द्वारा जानकारी दी गई कि भवन तल के छत में मरम्मत, प्राचार्य कक्ष की साज सज्जा एवं सी.सी. रोड निर्माण पर 19,25,252=00 (उन्नीस लाख पच्चीस हजार दो सौ बावन) रुपये की राशि व्यय की गई है, एवं ग्रंथालय के भीतर तथा बाजू के खाली स्थान पर कमरों का निर्माण कार्य किया जाना है, पूरे भवन की पोताई का कार्य भी आवश्यक है। उपरोक्त समस्त कार्यों में अनुमानतः बीस लाख (20,00,000=00) रुपये व्यय होने की संभावना है। निर्णय लिया गया कि मरम्मत, प्राचार्य कक्ष की साज सज्जा, एवं सी. सी. रोड निर्माण पर किये गये व्यय को स्वीकृति प्रदान की जाती है, एवं प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार

लिये अमला रख रखाये जाने हेतु स्वीकृति एवं अनुमति दी जाती है।

विषय क्रमांक 06:- वर्तमान आवश्यकतानुसार महाविद्यालय में ई-क्लास रूम बनाये जाने पर विचार एवं आनलाईन कक्षाओं की जानकारी देना।

निर्णय:- प्राचार्य द्वारा कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्देशानुसार आन लाईन कक्षाये संचालित किये जाने की जानकारी दी गई। यह भी सूचित किया गया कि वर्तमान आवश्यकतानुसार महाविद्यालय में ई-क्लासरूम बनाया जाना अति आवश्यक है। निर्णय लिया गया कि तकनीकी जानकार लेकर प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार ई-क्लास रूम बनाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विषय क्रमांक - 07 - अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय -

निरंक

PRINCIPAL
D.P. Vipra P.G. Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

(158)

डी०पी० विप्र विधि महाविद्यालय प्रशासन समिति की आपात बैठक दिनांक 12 मार्च 2022 समय संध्या 4:00 बजे, स्थान प्राचार्य कक्ष, डी०पी० विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर

मानीय सदस्यगण बैठक मे निम्नलिखित उपस्थित / अनुपस्थित रहे।

क्रमांक	सदस्यगणों के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराग शुक्ला	अध्यक्ष	
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	
03	श्री नन्द किशोर तिवारी	सदस्य	
04	श्री नरेन्द्र कछवाहा	सदस्य	
05	श्री डा० अखिलेश शर्मा	सदस्य (वि० वि० प्रतिनिधि)	
06	प्रो० डा० सौमित्र तिवारी	वि० वि० प्रतिनिधि	
07	प्रो० तिलक राम पटेल	शिक्षक प्रतिनिधि	
08	प्रो० धर्मेन्द्र शर्मा	शिक्षक प्रतिनिधि	
09		शासकीय प्रतिनिधि	
10	डा० ए० बी० सोनी	प्राचार्य / सचिव	

माननीय सदस्यो ने निम्न विषयो / बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये।

विषय क्रमांक :- 01 गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना

निर्णय – गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक :- 02 सत्र 2021 - 22 के लिये महाविद्यालय के आय व्यय अनुमान बजट पर विचार

निर्णय :- प्राचार्य द्वारा सत्र 2021 - 22

हेतु बजट प्रस्तुत किया गया एवं आय तथा प्रस्तावित एवं बाजार में किये गये व्यय की विस्तार से जानकारी दी गई, तथा बार कौंसिल आफ इंडिया के निर्देशानुसार अकादमिक व्यवस्था पर होने वाले कुछ प्रमुख व्ययों की जानकारी दी, जिसमें निरीक्षण शुल्क एवं Endowment fund इत्यादि जमा किये जाने के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। माननीय सदस्यों ने महाविद्यालय की आर्थिक स्थिति पर संतुष्टि जाहिर की एवं बजट को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक:-03 बार कौंसिल आफ इंडिया के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण, ~~भवन~~ भवन मरम्मत एवम आन्तरिक नवीनीकरण किये जाने पर विचार

निर्णय :- प्राचार्य ने जानकारी दी कि बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा बी.काम. एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति जिन शर्तों पर दी गई है, उसमें ई-लाइब्रेरी एवं नवीन कक्षाओं के निर्माण, स्मार्ट क्लास रूम इत्यादि की व्यवस्था करने को कहा गया है। अतः महाविद्यालय के वर्तमान भवन के प्रथम तल में आवश्यक निर्माण कार्य तथा वर्तमान भवन में कुछ आंतरिक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा तथा ही वर्तमान भवन की मरम्मत तथा अन्य Civil कार्य किये जाने हैं, ताकि भवन की कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। सदस्यों ने उपरोक्त कार्य नियमानुसार कराये जाने का निर्णय लिया एवं प्राचार्य को

विधिवत कार्य करने अथवा करवाये जाने हेतु अनुमति दी।

विषय क्रमांक :- 04 . महाविद्यालय भवन के पीछे स्थित भूखण्ड को क्रय करने पर विचार

निर्णय - सदस्यो ने विचारोपरान्त निर्णय लिया, कि उपरोक्त भूखण्ड निश्चित तौर पर महाविद्यालय के भावी विकास हेतु महत्वपूर्ण है, किन्तु क्रय किये जाने का निर्णय होने के पूर्व उपरोक्त भूखण्ड की वैधानिक स्थिति यथा स्वत्व स्वामित्व की विधिवत जानकारी प्राप्त की जावे एवं तत्पश्चात विक्रेता भूखण्ड स्वामी से मूल्य संबंधी चर्चा कर आगामी बैठक मे पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्त कार्य हेतु प्राचार्य को अधिकृत किया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव सहित बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

(159)

डी० पी० विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर की प्रशासन समिति की आपात बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2022 समय संध्या 5:00 बजे, स्थान प्राचार्य कक्ष डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय अशोक नगर सीपत रोड बिलासपुर (छ.ग.)

बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्यगण / पदाधिकारी उपस्थित / अनुपस्थित रहे।

01 श्री अनुराग शुक्ला — अध्यक्ष
02 श्री सुभाष मिश्रा — सदस्य
03 श्री नन्द किशोर तिवारी — सदस्य
04 श्री नरेन्द्र कछवाहा — सदस्य
05 डा० अखिलेश शर्मा — सदस्य (वि.वि. प्रतिनिधि)
06 डा० सौमित्र तिवारी — सदस्य (वि.वि. प्रतिनिधि)
07 प्रो० तिलक राम पटेल — सदस्य / शिक्षक प्रतिनिधि
08 प्रो० धर्मेन्द्र शर्मा — सदस्य / शिक्षक प्रतिनिधि
09 — शासकीय प्रतिनिधि
10 डा० अन्जू साई सोनी — प्राचार्य पदेन सचिव

माननीय सदस्यगणों ने विचारोपरान्त निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कर निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिया।

विषय क्रमांक 01 :- ग्रंथालय के बाजू में महाविद्यालय के स्वामित्व के खाली स्थल पर हाल / कक्ष का निर्माण किये जाने बाबत विचार.

निर्णय :- विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे, यथा योग्यता इंजीनियर / आर्कीटेक्ट से नक्शा एवं

(160)

प्राक्कलन तैयार कर ~~विधि~~ विधिवत निविदा आमंत्रित किया जावे, एवं प्राप्त निविदा पर क्रय समिति द्वारा विचार कर निर्माण कार्य करवाया जावे। उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त वर्तमान हाल एवं ग्रंथालय के प्रथम तल पर भी नियमानुसार निर्माण कार्य किये जाने की भी स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक 02 :- महाविद्यालय परिसर में स्थित कन्या छात्रावास भवन के अन्दर आवश्यक मरम्मत करवाये जाने पर विचार

निर्णय लिया गया कि विधिवत प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार मरम्मत का कार्य करवाया जावे।

प्राचार्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

(पेज)

विषय क्रमांक 01:—
महाविद्यालय के द्वारा वेतन वृद्धि के संबंध मे रखे गये तथ्य एवं मांग के सन्दर्भ मे विचार

निर्णय क्रमांक 01:—
प्राध्यापकों के द्वारा वेतन वृद्धि के सन्दर्भ मे रखे गये तथ्यों एवं उनकी मांग पर विचार किया गया एवं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विगत पांच वर्षों (2012-13 से 2016-17) का महाविद्यालय के आय एवम् व्यय का परीक्षण एक समिति गठित कर करवाया जावे, एवं उसी समिति के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन तथा वेतन संबंधी अनुशंसा को आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जावे, ताकि वेतन के संबंध मे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। आय व्यय की जांच हेतु जांच समिति निम्नलिखित अनुसार गठित की गई। श्री सुभाष मिश्रा संयोजक (2) श्री नंद किशोर तिवारी सदस्य (3) श्री धर्मेन्द्र शर्मा सदस्य।

PRINCIPAL
D.P. Vipra P.G. Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

(143)

डी० पी० मिश्र विधि महाविद्यालय प्रशासन समिति (शासी निकाय) की आपात बैठक दिनांक 10 जून 2019 – स्थान - प्राचार्य कक्ष डी० पी० मिश्र विधि महा० बिलासपुर

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराग शुक्ल	अध्यक्ष	[signature]
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	[signature]
03	श्री नन्दकिशोर तिवारी	सदस्य	
04	श्री नरेन्द्र कछवाहा	दानदाता सदस्य	
05	श्री सन्तोष ठाकुर	शिक्षक प्रतिनिधि	[signature]
06	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	शिक्षक प्रतिनिधि	[signature]
07		वि.वि. प्रतिनिधि	
08		वि.वि. प्रतिनिधि	
09		शासकीय प्रतिनिधि	
10	डा० अन्नू भाई सोनी	प्राचार्य एवम् पदेन सचिव	[signature]

निम्नलिखित विषयों पर को प्राचार्य द्वारा समिति के माननीय सदस्यों के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

(144)

विषय क्रमांक 01 :–
महाविद्यालय भवन के प्रथम तल पर निर्मित कमरों के ध्वंत का कार्य कराने, शौचालय का निर्माण करने, आवश्यक मरम्मत कार्य करवाने एवं रंग रोगन इत्यादि पर विचार –

निर्णय क्रमांक 01 :–
माननीय सदस्यों ने विचारोपरान्त तकनीकी सलाह लेकर नियमानुसार कार्य करने अथवा करवाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की।

विषय क्रमांक 02 :–
महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवम कर्मचारिओं द्वारा वेतन वृद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना।

निर्णय :–
माननीय सदस्यों के द्वारा वेतन वृद्धि के संबंध मे विचार करने के पूर्व यह तथ्य लाया गया, कि प्रशासन समिति की पूर्व बैठक दिनांक 16.12.2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार महाविद्यालय के आय-व्यय (पिछले पांच वर्षों का यथा 2012-13 से 2016-17 तक) का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, निर्णयानुसार इसी समिति को महाविद्यालय की आर्थिक स्थिति के अनुसार प्राध्यापकों एवम कर्मचारिओं के वेतन वृद्धि हेतु भी आवश्यक सुझाव देने को अतः प्रथमतः उपरोक्त समिति के प्रतिवेदन का अवलोकन किया जाना उचित होगा। तदनुसार समिति के

द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जाँच प्रतिवेदन पर प्रशासन समिति की आगामी बैठक मे विचार किया जावेगा, किन्तु महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग पर सुहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि प्राध्यापकों को 30 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 40% प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता उनके मूल वेतन पर दिये जाने की अन्तरिम स्वीकृति दी जाती है, इसी प्रकार महाविद्यालय के तदर्थ कर्मचारियों के वेतन मे निम्नानुसार वृद्धि करने की भी अन्तरिम स्वीकृति दी जाती है।

तदर्थ प्राध्यापक गण -	7500/ से बढाकर 8500/ प्रति माह
तदर्थ बुकलिफ्टर	4000 से बढाकर 6000/ प्रति माह
तदर्थ मुख्य चौकीदार	5000 से बढाकर 5500/ प्रति माह

प्राचार्य अनूमाईसोनी एवं मुख्य लिपिक श्रवण चन्द्राकर को उपरोक्त वेतन वृद्धि का लाभ/प्रभाव प्रशासन समिति की आगामी बैठक मे जाँच प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात लिये निर्णयानुसार प्राप्त होगा।

उपरोक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति अंतरिम तौर पर प्रभावी होगी, अंतिम स्वीकृति आगामी शासी निकाय / प्रशासन समिति की बैठक के पश्चात लिये गये निर्णयानुसार प्रभावी अथवा मान्य की जावेगी। सदस्यों

ने विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया कि महाविद्यालय की महिला प्राध्यापिका कु. सुषमा तिवारी को SLET परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पांच सौ रुपये प्रतिमाह की विशेष वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

Principal
D.P. Vipra P.G. Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी० पी० विप्र विधि महाविद्यालय की प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 06 अक्टूबर 2019 दिन रविवार समय प्रातः 10 बजे, प्लान प्राचार्य कक्ष बैठक मे निम्न माननीय सदस्यगण उपस्थित / अनुपस्थित रहे।

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराग शुक्ला	अध्यक्ष	[signature]
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	[signature]
03	श्री नरेन्द्र कछवाहा	सदस्य	
04	श्री नंदकिशोर तिवारी	सदस्य	
05			
06	प्रो० धर्मेन्द्र शर्मा	शिक्षक प्रतिनिधि	[signature]
07	डा० मधुलिका अग्रवाल	वि० वि० प्रतिनिधि	
08	डा० चिन्मयीरानी दास	वि० वि० प्रतिनिधि	
09			
10	डा० अन्नू भाई सोनी	प्राचार्य / सचिव	[signature]

निम्न विषय / बिन्दुओं पर समिति के माननीय सदस्यों ने विचारोपरान्त निर्णय लिये।

विषय क्रमांक - 01 गत आपात बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना

निर्णय - 01 - कार्यवाही की पुष्टि की गई, एवं यह निर्णय लिया गया, कि चूंकि जाँच समिति की रिपोर्ट माननीय सदस्यों के मध्य विचाराधीन है, अतः उस पर आगामी बैठक मे निर्णय लिया जाना उचित होगा।

विषय क्रमांक 02 - महाविद्यालय मे सत्र 2019-20 मे विभिन्न पाठ्यक्रमों मे प्रवेश संख्या की जानकारी देना

निर्णय - 02 प्राचार्य द्वारा निम्नानुसार जानकारी दी गई

1 बी.ए. एल. एल. बी. प्रथम सेमेस्टर — 120
2 एल. एल. बी. भाग I प्रथम सेमेस्टर 278
3 एल. एल. एम. भाग I प्रथम सेमेस्टर 020

विषय क्रमांक 03 - नवीन पाठ्यक्रम बी. काम. एल. एल. बी. प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रगति की जानकारी देना

(148)

निर्णय क्रमांक 03 :- प्राचार्य द्वारा जानकारी दी गई, कि बी.काम. एल.एल.बी. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु शासन एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनुमति प्राप्त हो गई है। एवं प्रकरण अनुमति हेतु बार कौंसिल आफ इंडिया को भेजा जा रहा है।

विषय क्रमांक 04:- महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का बकाया (Arreares) का प्रथम किश्त का भुगतान किये जाने बाबत जानकारी देना

निर्णय क्रमांक - 04 :- प्राचार्य द्वारा जानकारी दी गई कि कुल तीन किश्तों मे विभाजित बकाया राशि के प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है, शेष दो किश्तों का भुगतान भी यथासंभव शीघ्र ही कर दिया जावेगा।

विषय क्रमांक 05 :- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

(अ) महाविद्यालय मे विधि विषय पर सेमीनार कराये जाने पर विचार

निर्णय लिया गया कि आगामी समय मे NAAC के निरीक्षण को ध्यान मे रखते हुये प्रत्येक सत्र मे कम से कम दो सेमीनार करवाये जावें।

(ब) भृत्यो के द्वारा मंहगाई भत्ता निर्धारण मे हुई त्रुटि (60% के स्थान पर 50%) को सुधारने के आवेदन पर विचार

निर्णय लिया गया कि प्राचार्य तथ्यों से माननीय अध्यक्ष को अवगत करायेंगे, ताकि निर्णय लिया जा सके।

[signatures]

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

[signature]

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी॰ पी॰ विप्र विधि महाविद्यालय प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 07 मार्च 2020 दिन शनिवार, समय प्रात: 10 बजे, स्थान प्राचार्य कार्यालय—

निम्न सदस्यगण उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराग शुक्ला	अध्यक्ष	
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	(हस्ताक्षर)
03	श्री नंद किशोर तिवारी	सदस्य	
04	श्री नरेन्द्र कुशवाहा	सदस्य	
05	प्रो० धर्मेन्द्र शर्मा	शिक्षक प्रतिनिधि	(हस्ताक्षर)
06	प्रो॰	शिक्षक प्रतिनिधि	
07	डा० मधुलिका अग्रवाल	वि॰ वि॰ प्रतिनिधि	
08	डा० चिन्मोयी रानी दास	वि॰ वि॰ प्रतिनिधि	
09		शासकीय प्रतिनिधि	
10	डा० ए॰ बी॰ सोनी	प्राचार्य/सचिव	(हस्ताक्षर)

माननीय सदस्यों के द्वारा विषयों पर विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये

विषय क्रमांक 01 :- गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना

निर्णय क्रमांक 01 :- कार्यवाही की पुष्टि की गई, एवं यह निर्णय लिया गया कि सदस्यों के आग्रह पर जाँच समिति के रिपोर्ट पर आगामी बैठक मे विचार किया जावे।

विषय क्रमांक-02 नवीन पाठ्यक्रम बी.काम.एल. एल. बी. के संबंध मे जानकारी देना

निर्णय क्रमांक 02 - प्राचार्य द्वारा जानकारी दी गई कि बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा नवीन पाठ्यक्रम के प्रारंभ पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण इस पाठ्यक्रम को आगामी सत्र 2020-21 से प्रारंभ किया जाना संभव दिखायी नही दे रहा है।

विषय क्रमांक 03 :- प्राचार्य कक्ष को सुसज्जित कराये पर विचार

(15)

निर्णय क्रमांक 03:- सदस्यो ने प्राचार्य कक्ष को आधुनिक तरीके से सुसज्जित करने, प्राध्यापक कक्ष मे आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था करने, उद्यान को विकसित करने एवं चौकीदार के निवास हेतु भूतल मे कक्ष निर्माण करने पर अपनी सहमति प्रदान की।

निर्णय क्रमांक 04:- प्राध्यापको एवं कर्मचारियो के E.P.F. अंशदान का अन्य खाते मे जमा हो जाने की समस्या पर विचार

निर्णय :- 4 - निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समस्या का निराकरण श्री भगवान चन्द्रवंशी की सहायता से शीघ्र किया जावे।

विषय क्रमांक 05- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

कोई विषय प्रस्तुत नही किया गया।

प्राचार्य के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त होने की घोषणा की गई।

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)